न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 20/2022

प्रार्थी–

1. श्रवणसिंह पुत्र सुखसिंह
2. गेमरसिंह पुत्र हीरसिंह

   जाति राजपूत निवासी राणासर कला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. ग्राम पंचायत राणासर कला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत राणासर कला जिला बाड़मेर
2. रेवंतसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर कला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

3. **निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 33 दिनांक 05.01.2019 जो अप्रार्थी सं. 2 रेवंतसिंह पुत्र हेमसिंह के नाम अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत राणासर कला द्वारा जारी किया गया।**

उपस्थिति :–

1. श्री, भाखराराम गोदारा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री आम्बालाल जोशी व कुमार कौशल जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री डुंगरसिंह महेचा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 06.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत राणासर कला द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत ग्राम राणासर कला मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 33 दिनांक 05.01.2019 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत राणासर कला द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत राणासर कला द्वारा पट्टा सं. 33 राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया जाना लिखा हैं, उक्त नियम के अनुसार जिस व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया जाता है उस व्यक्ति का उस मकान/भूखण्ड पर बहुत पुराना कब्जा होना चाहिए, किन्तु वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 2 का कभी आधिपत्य नहीं रहा है। प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के समस्त धड़ों के सात पीढ़ियों की सामुहिक पुरानी कोटड़ी/गुडाल जो समस्त भाईयों के परिवारों की सामुहिक बनी हुई है। जो प्रार्थीगण के पड़ौस में है। जिसमें विवाह/बधावना/सामाजिक समारोह में सभी भाईयों के रिश्तेदार आते हैं, तब रूकते हैं। विप्रार्थी संख्या 2 रेंवतसिंह पुत्र हेमसिंह जो भूमाफिया है। उसने उपरोक्त फर्जी पट्टे के आधार पर हमारे पीढ़ियों की कब्जासूदा कदीमी भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि मे हम पीढ़ियों से काबीज है। परंतु विप्रार्थी संख्या 2 उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर व्यवधान डाल रहा है। वास्तविकता में विप्रार्थी संख्या 2 का हमारे आस पड़ोस में गांव की आबादी भूमि में कभी भी निवास नहीं रहा। विप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त अवैध पट्टा कानूनी प्रक्रिया के पालन किए बिना गलत रूप से छल कपट पूर्वक बनाया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत राणासर कला में सूचना के अधिकार के तहत उक्त पट्टे की सूचना चाही गई जिसमें पट्टा संख्या 33 दिनांक 05.01.2019 में रेंवतसिंह पुत्र हेमसिंह के नाम से पट्टा जारी होने एवं उसकी मिसल, मौका रिपोर्ट, आवदेन पत्रावली, पंचायत बैठक कार्यवाही एवं इस पट्टे से संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध होना नहीं बताया तथा न ही इस पट्टे का कोई इंद्राज पाया होना बताया है। उपरोक्त आलोच्य पट्टा संख्या 33 ग्राम पंचायत राणासर कला पंचायत समिति धोरीमन्ना के अस्तित्व में नहीं होने से उक्त पट्टा काबिल खारिज है। इस प्रकार ग्राम पंचायत राणासर कला द्वारा विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया है जो काबिल निरस्त हैं।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

3. अप्रार्थी सं. 2 ने निगरानी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विप्रार्थी संख्या 2 रेवंतसिंह पुत्र हेमसिंह निवासी राणासर कला तहसील धोरीमन्ना का मूल निवासी है, जो कई पीढियों से पट्टासूद भूमि पर रह रहे हैं तथा पीढियों से कब्जा चला आ रहा है एवं पक्का मकान बना हुआ है। विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 20.05.2017 को आवेदन करने पर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

दिनांक 05.01.2019 को पट्टा संख्या 33 ग्राम पंचायत राणासर कला तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत राणासर कला तथा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा जारी कर विप्रार्थी संख्या 2 को जारी कर दिया गया। विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 24.12.2012 को विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन संख्या 220 करने पर दिनांक 07.02.2013 को मांग पत्र संख्या 6556 के तहत 3700/– रूपये की मांग पत्र पर रूपये जमा करवाये गये थे, जिस पर विप्रार्थी संख्या 2 को विद्युत कनेक्शन दिया गया। पट्टा संख्या 33 विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आवेदन कर पुस्तक संख्या 73, रसीद संख्या 53 दिनांक 20.05.2017 को साठ रुपये की रसीद पट्टा आवेदन शुल्क जमा करवाकर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत राणासर कला द्वारा रसद दी गई। विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पट्टे हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वांरा संपूर्ण प्रक्रिया अपनाकर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 से 160 तक की पालना कर पट्टा संख्या 33 को दिनांक 05.01.2019 को जारी किया गया। पट्टा भूमि पर विप्रार्थी संख्या 2 का पक्का मकान एवं टांका बना हुआ है तथा विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। विप्रार्थी द्वारा अवैध कब्जा नहीं किया गया है न ही गली पर अतिक्रमण किया गया है। प्रार्थी का इस विवादित भूखण्ड में कोई विधिक हित–अधिकार नहीं है। इस आधार पर प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2022 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत राणासर कला द्वारा पट्टा सं. 33 राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया जाना लिखा हैं, उक्त नियम के अनुसार जिस व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया जाता है उस व्यक्ति का उस मकान/भूखण्ड पर बहुत पुराना कब्जा होना चाहिए, किन्तु वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 2 का कभी आधिपत्य नहीं रहा है। प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के समस्त धड़ों के सात पीढ़ियों की सामुहिक पुरानी कोटड़ी/गुडाल जो समस्त भाईयों के परिवारों की सामुहिक बनी हुई है। जो प्रार्थीगण के पड़ौस में है। जिसमें विवाह/बधावना/सामाजिक समारोह में सभी भाईयों के रिश्तेदार आते हैं, तब रूकते हैं। विप्रार्थी संख्या 2 रेंवतसिंह पुत्र हेमसिंह जो भूमाफिया है। उसने उपरोक्त फर्जी पट्टे के आधार पर हमारे पीढ़ियों की कब्जासूदा कदीमी भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि मे हम पीढ़ियों से काबीज है। परंतु विप्रार्थी संख्या 2 उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर व्यवधान डाल रहा है। वास्तविकता में विप्रार्थी संख्या 2 का हमारे आस पड़ोस में गांव की आबादी भूमि में कभी भी निवास नहीं रहा।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

विप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त अवैध पट्टा कानूनी प्रक्रिया के पालन किए बिना गलत रूप से छल कपट पूर्वक बनाया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत राणासर कला में सूचना के अधिकार के तहत उक्त पट्टे की सूचना चाही गई जिसमें पट्टा संख्या 33 दिनांक 05.01.2019 में रेंवतसिंह पुत्र हेमसिंह के नाम से पट्टा जारी होने एवं उसकी मिसल, मौका रिपोर्ट, आवदेन पत्रावली, पंचायत बैठक कार्यवाही एवं इस पट्टे से संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध होना नहीं बताया तथा न ही इस पट्टे का कोई इंद्राज पाया होना बताया है। उपरोक्त आलोच्य पट्टा संख्या 33 ग्राम पंचायत राणासर कला पंचायत समिति धोरीमन्ना के अस्तित्व में नहीं होने से उक्त पट्टा काबिल खारिज है। इस प्रकार ग्राम पंचायत राणासर कला द्वारा विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया है जो काबिल निरस्त हैं। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि विप्रार्थी संख्या 2 रेंवतसिंह पुत्र हेमसिंह निवासी राणासर कला तहसील धोरीमन्ना का मूल निवासी है, जो कई पीढियों से पट्टासूद भूमि पर रह रहे हैं तथा पीढियों से कब्जा चला आ रहा है एवं पक्का मकान बना हुआ है। विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 20.05.2017 को आवेदन करने पर दिनांक 05.01.2019 को पट्टा संख्या 33 ग्राम पंचायत राणासर कला तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत राणासर कला तथा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा जारी कर विप्रार्थी संख्या 2 को जारी कर दिया गया। विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 24.12.2012 को विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन संख्या 220 करने पर दिनांक 07.02.2013 को मांग पत्र संख्या 6556 के तहत 3700/— रूपये की मांग पत्र पर रूपये जमा करवाये गये थे, जिस पर विप्रार्थी संख्या 2 को विद्युत कनेक्शन दिया गया। पट्टा संख्या 33 विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आवेदन कर पुस्तक संख्या 73, रसीद संख्या 53 दिनांक 20. 05.2017 को साठ रुपये की रसीद पट्टा आवेदन शुल्क जमा करवाकर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत राणासर कला द्वारा रसद दी गई। विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पट्टे हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया अपनाकर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 से 160 तक की पालना कर पट्टा संख्या 33 को दिनांक 05.01.2019 को जारी किया गया। पट्टा भूमि पर विप्रार्थी संख्या 2 का पक्का मकान एवं टांका बना हुआ है तथा विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। विप्रार्थी द्वारा अवैध कब्जा नहीं किया गया है न ही गली पर अतिक्रमण किया गया है। प्रार्थी का इस विवादित भूखण्ड में कोई विधिक हित—अधिकार नहीं है। इस आधार पर प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम विकास अधिकारी, राणासर कला से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन करने से पाया जाता

कार्यालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.…)

हैं कि ग्राम पंचायत में उक्त अभिलेख में सिर्फ पट्टा बुक ही है, इसके अलावा अन्य रेकर्ड ग्राम पंचायत राणासर कला के पास नहीं है। इसके पश्चात् ग्राम विकास अधिकारी, राणासर कला को व्यक्तिगत सुनवाई वास्ते न्यायालय में तलब किया गया जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, राणासर कला द्वारा यह प्रकट किया गया कि उक्त रिकार्ड पूर्ववर्ती ग्राम विकास अधिकारी, राणासर कला के पास है जो कि एसओजी प्रकरण में कई समय से फरारी में चल रहा है तथा वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी, राणासर कला के कार्यग्रहण के समय उक्त अभिलेख में सिर्फ पट्टा बुक ही उपलब्ध थी जो इस न्यायालय को भिजवा दी गई है। चूंकि किसी भी पट्टा की वैद्यता एवं सत्यता की जांच के लिए संबंधित मिसल, पट्टा बुक एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर की आवश्यकता रहती है। इन सभी दस्तावेजों के अनुरूप ही किसी पट्टे की जांच एवं परीक्षण किया जा सकता है। इस प्रकरण में पट्टा बुक के अलावा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से उक्त पट्टे की वैद्यता एवं सत्यता की जांच किया जाना संभव नहीं है। चूकिं ग्राम पंचायत राणासर कला से प्राप्त पट्टा बुक में उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 33 दिनांक 05.01. 209 स्पष्ट रूप से विद्यमान है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि कोई अभिलेख संधारित नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अभिलेख के अभाव में जांच / परीक्षण संभव नहीं होने से चलने योग्य नहीं है, जो खारिज योग्य प्रतीत होत है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र अभिलेख के अभाव में खारिज किया जाता हैं। अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत राणासर कला द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 33 दिनांक 05.01. 2019 यथावत बहाल रखा जाता हैं।

6. निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलक्टर,
बाड़मेर